

**झारखण्ड लोक सेवा आयोग**  
**सर्कुलर रोड, रांची – 834001**  
**विज्ञापन**

ऑनलाईन (Online) आवेदन प्राप्ति  
की अंतिम तिथि– 30.10.2015

विज्ञापन संख्या–09/2015

**झारखण्ड पशुपालन सेवा के पशुचिकित्सक (विशेष भर्ती) नियुक्ति परीक्षा**

झारखण्ड राज्य के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक-1253 दिनांक 28.08.2015 के द्वारा पशुचिकित्सक के पद पर नियुक्ति हेतु प्रेषित अधियाचना के अनुरूप संसूचित रिक्तियों के आधार पर इच्छुक एवं अर्हताधारी भारतीय नागरिकों से विहित-प्रपत्र में Online आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

1. (i) पद का नाम– पशुचिकित्सक (Veterinary Doctor) (विशेष भर्ती)
- (ii) विभाग द्वारा अधियाचित कोटिवार रिक्त पदों की संख्या निम्नवत् है :-

S.No.	Category	A. Vertical Reservation	B. Horizontal Reservation against total vacancy		
		No. of vacancies	Women	Sports	Handicapped
1	2	3	4	5	6
i	Unreserved	00	00	00	00
ii	SC	35	02	01	01
iii	ST	64	03	01	02
iv	BC-I	31	02	01	01
v	BC-II	00	00	00	00
Total of (i) to (v)		130	07	03	04

(नोट :- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार की अधियाचना के अनुसार कोटिवार रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।)

2. वेतनमान – PB-II- 9,300-34,800 (Grade Pay – 5,400)
3. पद – स्थायी
4. परीक्ष्यमान अवधि – 2 (दो) वर्ष
5. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता :-

1. भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् अधिनियम 1984 (1984 का 52) के सूची-I एवं II में उल्लिखित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान से पशुचिकित्सा विज्ञान में स्नातक (बी०बी०एस०सी० एंड ए०एच०) की उपाधि प्राप्त तथा
2. भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् या झारखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद् से निबंधित

**In English**

- 1- Graduate (B.V.Sc. & A.H.) in Veterinary Science from any recognized University/college/institute described in the list I & II of the Indian Veterinary Council Act 1984 (52 of 1984) and
- 2- Registered Veterinary Practitioner with Jharkhand Veterinary Council or Indian Veterinary Council

**6. उम्र सीमा की संदर्भ तिथि :- 01.08.2013**

(क) न्यूनतम उम्र सीमा – 22 वर्ष अर्थात जन्म तिथि 01.08.1991 के बाद का न हो।

(ख) अधिकतम उम्र सीमा – कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार का ज्ञापांक-2096, दिनांक-25.04.2011 के अनुसार :-

क्र० सं०	कोटि	अधिकतम उम्र सीमा	जन्म तिथि को अथवा के बीच	शारीरिक रूप से अक्षम/सरकारी सेवक के लिए
1.	अनारक्षित	35 वर्ष	01.08.1978 से 01.08.1991	40 वर्ष (01.08.1973 से 01.08.1991)
2.	पिछड़ा वर्ग-I/पिछड़ा वर्ग-II	37 वर्ष	01.08.1976 से 01.08.1991	42 वर्ष (01.08.1971 से 01.08.1991)
3.	महिला (अनारक्षित/ पिछड़ा वर्ग-I/पिछड़ा वर्ग-II)	38 वर्ष	01.08.1975 से 01.08.1991	43 वर्ष (01.08.1970 से 01.08.1991)
4.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)	40 वर्ष	01.08.1973 से 01.08.1991	45 वर्ष (01.08.1968 से 01.08.1991)

(ग) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार का ज्ञापांक-360, दिनांक-21.01.2003 के अनुसार :- राज्य सरकार के वैसे सरकारी कर्मी जिन्होंने लगातार तीन वर्षों की सरकारी सेवा पूरी कर ली हो, उन्हें निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष का छूट देय है।

**7. नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया :-**

(क) लिखित (विषयनिष्ठ) एवं मौखिक परीक्षाएँ आयोजित की जायेगी।

(ख) लिखित परीक्षा एवं मौखिक परीक्षा के प्राप्तांक को जोड़कर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प ज्ञापांक-13026 दिनांक-27.11.2012 के आलोक में मेधा सूची तैयार की जायेगी तथा संसूचित कोटिवार रिक्तियों के अनुरूप प्रशासी विभाग को नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के नाम अनुशंसित किये जायेंगे।

**7. (क) लिखित परीक्षा:-**लिखित परीक्षा के पाँच पत्र होंगे। जिसमें लिखित परीक्षा के प्रश्न विषयनिष्ठ होंगे, जिसकी विवरणी निम्नवत् है :-

क्र०	विषय	पूर्णांक	समय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	प्रथम पत्र –हिन्दी :- (क) निबंध (400 शब्दों का) (ख) व्याकरण (ग) वाक्य विन्यास	100	3 घंटा	सभी अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य

	(घ) संक्षेपण			
2	द्वितीय पत्र :- अंग्रेजी a. Essay b. Grammer c. Cmprehension d. Preces	100	3 घंटा	
3	तृतीय पत्र :- पशु औषधि विज्ञान तथा पशु शल्य चिकित्सा विज्ञान (Veterinary Medicine & Veterinary Surgery)	200	3 घंटा	
4	चतुर्थ पत्र :- पशु गर्भ विज्ञान तथा पशु पोषण विज्ञान (Veterinary Obsterics and Gyanecology & Animal Nutrition))	200	3 घंटा	
5	पंचम पत्र :- पशुधान उत्पादन एवं प्रबंधन तथा पशु प्रजनन एवं आनुवंशिकी (Livestock Production and Management & Animal Breeding and Gnetics)	200	3 घंटा	

**नोट :-** प्रथम पत्र एवं द्वितीय पत्र में न्यूनतम उत्तीर्णांक (प्रत्येक में कुल 30 अंक) लाना अनिवार्य होगा जिसकी गणना कुल प्राप्तांक में नहीं की जाएगी। कुल प्राप्तांक की गणना पत्र - 3, 4 एवं 5 के आधार पर की जाएगी।

**(ख) साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा:-**साक्षात्कार के लिए कुल **100 अंक** निर्धारित है। कोटिवार कुल संसूचित रिक्तियों का **3 (तीन) गुणा** ऐसे सफल उम्मीदवार जिन्होंने लिखित परीक्षा में निर्धारित किये जाने वाले विभिन्न कोटि के लिए न्यूनतम अहर्तांक प्राप्त किया है, को मौखिक परीक्षा (साक्षात्कार) के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

**(ग) न्यूनतम अहर्तांक :-** लिखित एवं मौखिक परीक्षा में सफलता के लिए दोनों परीक्षाओं में निम्नलिखित न्यूनतम अहर्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार के संकल्प ज्ञापांक-13026 दिनांक-27.11.2012 द्वारा निर्धारित है :-

अनारक्षित	40 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग-II	36.5 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग-I	34 प्रतिशत
अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला वर्ग	32 प्रतिशत

**8.** (i) निःशक्त/दृष्टिहीन उम्मीदवारों के लिए परीक्षा अवधि में प्रत्येक 1 घंटे पर 20 मिनट का अतिरिक्त समय देय होगा।

(ii) वैसे निःशक्त अभ्यर्थी जिन्हे श्रुतलेखक/स्क्राइब सुविधा की आवश्यकता है उन्हें परीक्षा तिथि के तीन दिन पूर्व परीक्षा के केन्द्रीक्षक को अपना आवेदन पत्र, निःशक्ता प्रमाण पत्र की स्व-अभिप्रमाणित प्रति के साथ उपलब्ध करायेगें।

(iii) निःशक्त अभ्यर्थी को श्रुतिलेखक/स्क्राइब की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। वैसे निःशक्त अभ्यर्थी जो अपने साथ श्रुतिलेखक/स्क्राइब नहीं लायेंगे, उन्हें यह सुविधा नहीं मिलेगी और इसके लिए वह स्वयं जिम्मेवार होंगे।

(iv) श्रुतिलेखक/स्क्राइब 12 वीं कक्षा अथवा इण्टरमीडिएट (50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त न हो) से अधिक शिक्षित नहीं हो तथा वह अभ्यर्थी का निकट संबंधी नहीं हो।

9. अवसरों की संख्या – कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक– 2959 दिनांक– 03.04.2013 द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के अवसरों को निम्न रूप से रखा गया है :-

- |   |   |           |
|---|---|-----------|
| (क) अनारक्षित वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए  | – | चार अवसर  |
| (ख) पिछड़ा वर्ग-I/पिछड़ा वर्ग-II के पुरुष उम्मीदवारों के लिए                              | – | पाँच अवसर |
| (ग) महिला (अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग-I/पिछड़ा वर्ग-II के उम्मीदवारों के लिए)                 | – | छः अवसर   |
| (घ) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं कोई सीमा नहीं महिला उम्मीदवारों के लिए | – | अवसरों की |

10. आरक्षण :-

- (क) **ऑनलाईन (Online)** आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को अनारक्षित कोटि में शामिल किया जायेगा।
- (ख) आरक्षण का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी को झारखण्ड राज्य के सक्षम स्तर के पदाधिकारी अर्थात् **उपायुक्त/अनुमंडल पदाधिकारी** स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। **झारखण्ड राज्य के बाहर के जाति प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थी के लिए आरक्षण के लाभ हेतु किया गया दावा अनुमान्य नहीं होगा।** केन्द्रीय सरकार के अधीन नियोजन/शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के उद्देश्य से निर्गत पिछड़ी जाति (OBC)का प्रमाण पत्र भी अमान्य होगा एवं आरक्षण का दावा अनुमान्य नहीं होगा।
- (ग) झारखण्ड सरकार द्वारा लागू अद्यतन आरक्षण संबंधी नियम प्रभावो होंगे। अन्य राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के उम्मीदवार चाहे वे किसी भी जाति के हों, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तथा वे अनारक्षित कोटि के उम्मीदवार माने जायेंगे। अतएव ऐसे उम्मीदवार Online आवेदन पत्र में अपनी कोटि अनारक्षित (UNR) प्रविष्ट करेंगे।
- (घ) झारखण्ड राज्य के उम्मीदवार, जो **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग –I (BC-I)/पिछड़ा वर्ग-II (BC-II)**के हैं, को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए झारखण्ड राज्यान्तर्गत **उपायुक्त/अनुमंडल पदाधिकारी** स्तर से क्रमशः कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार का ज्ञापांक– 5682, दिनांक– 22.10.2008 एवं ज्ञापांक– 10007, दिनांक– 29.08.2012 द्वारा निर्गत निर्धारित विहित प्रपत्र-I अथवा प्रपत्र-II का विवरण **ऑनलाईन** आवेदन पत्र में प्रविष्ट करना तथा संबन्धित प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति मुद्रित आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा, अन्यथा अभ्यर्थी अनारक्षित कोटि के माने जायेंगे। निर्धारित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट –**www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।

- (ड.) आवेदन के प्राप्ति की अंतिम तिथि तक आरक्षण हेतु संलग्न विहित प्रपत्र । एवं प्रपत्र-॥ में जाति प्रमाण पत्र, जिसे आयोग द्वारा अन्तर्वीक्षा के समय प्रमाण पत्र सत्यापन प्रक्रिया के दौरान मूल रूप में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।
- (च) **खेलकूद कोटा** के अन्तर्गत आरक्षण के दावे की स्थिति में कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-1709 दिनांक-12.09.2007 द्वारा श्रेणी -॥ के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित निम्न मानक के अनुसार अनुमान्य होगा :-

प्रतियोगिता का स्तर	उपलिब्ध
(i) अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक कमिटी अथवा उनसे संबंधित फेडरेशनों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता।	मेडल
(ii) भारतीय ओलम्पिक संघ अथवा उससे सम्बद्ध फेडरेशनो द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशीप स्तर की प्रतियोगिता।	प्रथम स्थान
(iii) राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता।	विश्व रिकार्ड

- (छ) **विकलांग कोटे** के आरक्षण क दावे की स्थिति में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प -7281 दिनांक-07.11.2007 के आलोक में केवल ऐसे उम्मीदवार सवाओं/पदों में आरक्षण के लिए पात्र होंगे, जो कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता से ग्रस्त हों तथा आरक्षण का लाभ उठाने हेतु संकल्प की अनुबंध-1 में दिए गए प्रारूप में सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी किया गया निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। (विहित प्रारूप आयोग के वेबसाईट-[www.ipsc.gov.in](http://www.ipsc.gov.in) पर उपलब्ध है)
- (ज) साक्षात्कार के समय ऑनलाईन आवेदन में दिये गये प्रविष्टि (Entry) एवं मुद्रित आवेदन के साथ संलग्न सभी प्रमाण पत्रों की संबंधित मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।

**11. (i) कदाचार (Misconduct) एवं इसके दुष्परिणाम:-**

Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise temper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding this discrepancy should be submitted. A candidate who is or has been declared to be guilty of :

- Obtaining support of his/her candidature by any means, or
- Impersonating, or
- Procuring impersonation by any person, or

- (d) Submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or
- (e) Making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
- (f) Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the selection, or
- (g) Using unfair means during the test, or
- (h) Writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, sketch, in the script (s), or
- (i) Misbehaving in any other manner in the examination hall, or
- (j) Harassing or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of their test, or
- (k) Bringing mobile phone/communication device in the examination Hall/interview room.
- (l) attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the forgoing clauses may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution be liable:
  - (i) to be disqualified from selection, for which he/she is a candidate, and/or
  - (ii) to be debarred either permanently or for a specified period:-
  - (iii) Convassing in any form will disqualify a candidate

**(ii) कदाचार के लिए कार्यवाही :-**

ऊपर वर्णित कदाचार के मामलों में दोषी पाये गये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता किसी भी stage में समाप्त की जा सकेगी। जिसका निर्णय आयोग द्वारा किया जायेगा।

**(iii) पूर्व के कदाचार का प्रभाव:-**

वैसे अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित कर देने का आदेश पारित किया गया है। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

**12. परीक्षा शुल्क :-**

- (i) सामान्य वर्ग/पिछड़ा वर्ग -I/पिछड़ा वर्ग-II के लिए चालान द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के किसी भी शाखा के माध्यम से 400.00/-रु० परीक्षा शुल्क + 50.00/-रु० बैंक चार्ज कुल -450.00/-रु० एवं झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 100.00/- रु० परीक्षा शुल्क + 50.00/- रु० बैंक चार्ज, कुल -150.00/-रु० Offline भुगतान अनुमान्य होगा।
- (ii) विकलांगों अभ्यर्थियों (कम से कम 40% संगत निःशक्तता) को परीक्षा शुल्क में छूट है।
- (iii) Online Payment Gateway के लिए Credit Card/ Debit Card/Net Banking/Cash Card/ Wallet के माध्यम से भी भुगतान किया जा सकता है जिसके लिए सामान्य वर्ग/पिछड़ा

वर्ग-I/पिछड़ा वर्ग-II के लिए 400 रुपये + Bank Transaction Fee एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 100 रुपये + Bank Transaction Fee के साथ भुगतान अनुमान्य होगा।

- (iv) **Offline Payment** के लिए चालान से डाउनलोड कर व्यवहार में लाया जा सकता है।
- (v) **Offline Payment** के लिए Genrated चालान Online Application System में स्वतः उपलब्ध रहेंगे तथा भुगतान निम्न खाते में किया जा सकता है:-

बैंक	—	एस0बी0आई0, लालपुर शाखा, राँची
खाता संख्या	—	35243938031
शाखा कोड	—	12623
IFSC CODE	—	SBIN0012623

- (vi) **Online Application** पत्र किसी भी कारण से अस्वीकृत होने पर परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

#### 14. आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक शर्त एवं निर्देश :-

- (क) ऑनलाइन (Online) आवेदन प्रपत्र भरने के पूर्व आवेदन कैसे करें, “How to apply” अवश्य पढ़ें। विज्ञापन संबंधी जानकारी के लिए आयोग के Help Line No. – 0651/2213009 पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक कार्य दिवस में सुबह-10.00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।
- (ख) Jharkhand Public Service Commission के वेबसाईट [www.jpsc.gov.in](http://www.jpsc.gov.in) पर Online Application System के माध्यम से स्वीकार किया जायेगा।
- (ग) Online Application System के द्वारा वांछित स्थान पर अभ्यर्थी अपना स्पष्ट रंगीन (पासपोर्ट साईज) फोटोग्राफ, हस्ताक्षर एवं बाएं अंगूठे का निशान स्कैन कर संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित स्थान पर फोटोग्राफ, हस्ताक्षर एवं बाएं अंगूठे का निशान नहीं रहने पर आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।
- (घ) **Online** आवेदन भरते समय आवेदक शैक्षणिक योग्यता से संबंधित विवरणी :-
- (i) भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् अधिनियम 1984 (1984 का 52) के सूची-I एवं II में उल्लिखित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान से पशुचिकित्सा विज्ञान में स्नातक (बी0भी0एस0सी0 एंड ए0एच0) की उपाधि प्राप्त तथा
  - (ii) भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् या झारखण्ड राज्य पशुचिकित्सा परिषद् से निबंधित
  - (iii) उन्नत संबंधी प्रवेशिका (मैट्रिक) प्रमाण पत्र या इसके समकक्ष (iv) जाति प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)
  - (v) अनुभव प्रमाण पत्र आदि ऑनलाईन आवेदन पत्र में निर्धारित कंडिकाओं में अवश्य प्रविष्टि करेंगे तथा साक्षात्कार के समय जाँच के क्रम में उपरोक्त प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं ऑनलाईन आवेदन में दी गयी सूचना तथा साक्षात्कार के समय दी गयी सूचना में भिन्नता होने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी तथा इसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

- (ड.) ऑनलाइन आवेदन भरने में कोई असुविधा होने पर आयोग के निम्नलिखित **Technical Help Line No.** पर कार्य दिवस में सुबह **10:00** बजे से शाम **05:00** बजे तक संपर्क किया जा सकता है :-
- 1. 07042294208                      2. 07042294209                      3. 07042294210**
- (च) आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गई सूचनाओं एवं किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में कोई गलत सूचना या तथ्य छिपाने का प्रमाण मिलता है, तो आयोग ऐसे आवेदकों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा
- (छ) चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
- (ज) आवेदन पत्र हस्ताक्षर को छोड़कर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (**BLOCK LETTERS**) में ही आवेदन पत्र भरा होना चाहिए। आवेदन पत्र भरने हेतु अंग्रेजी के अंतर्राष्ट्रीय अंको का ही प्रयोग करें।
- (झ) आवेदक अपने नाम, पिता के नाम की वर्तनी (Spelling) वहीं लिखेंगे, जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट एवं अंक पत्र में अंकित है।
- (ञ) जन्म तिथि-आवेदक मैट्रिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र में, अंकित जन्म तिथि यथा तिथि, महीना और वर्ष आवेदन पत्र के निर्धारित स्थान पर प्रविष्टि करें।

**15. अंतिम तिथि :-**

- (क) आवेदक Online Application System के माध्यम से दिनांक **10.10.2015** से **30.10.2015** रात **12:00 बजे** तक ही Online आवेदन कर सकते हैं

सचिव,  
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।